

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987-88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ - 226 004

फोन : 0522-2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522-2242486

ई-मेल : coldstorage@satyam.net.in वेबसाइट : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400

मूल्य : 1/- रू 31 मई, 2012 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 8, अंक : 12

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

इस समय पूरे देश में विशेष कर उत्तर प्रदेश में भयंकर गर्मी का प्रकोप है। घरों में रखा हुआ आलू प्रायः समाप्त हो चुका है। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा भी है वह लम्बी दूरी तक जाने के काबिल नहीं है, वहाँ तो केवल स्टोर में रखा हुआ आलू ही जा सकता है, इसलिए शीतगृहों से आलू की निकासी बढ़ती जा रही है, यह एक अच्छी बात है।



कुछ क्षेत्रों में तो निकासी अभी छिटपुट रूप में ही है परन्तु आगरा/फर्रुखाबाद क्षेत्र में आलू की निकासी समय को देखते हुए संतोषजनक है। पाकिस्तान से भी आलू का आना करीब-करीब बन्द हो चुका है इस कारण पाकिस्तान के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भण्डारण के बहुत अच्छे साधन ना होने के कारण भी उनके किसानों को विशेष असुविधा होती है। साधारण वर्षों में पाकिस्तान में उत्पादित आलू थोड़ा महँगा ही बैठता है। इस कारण वह बांग्लादेश और भारत के आलू से स्पर्धा में हार जाता है। इस वर्ष शुरू में ही भारत में आलू महँगा हो जाने के कारण पाकिस्तान के आलू का पड़ता लगने लगा था परन्तु सरकारी नियमों के पेंच में आकर आलू का पाकिस्तान से निर्यात बन्द हो गया है।

भीषण गर्मी के कारण शीतगृहों को तापमान गिराने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कण्डेन्सर का प्रेशर बढ़ रहा है जिसे हर हालत में 200 पाउण्ड से कम लाना जरूरी है।

इधर दूसरी समस्या कम बिजली व रूक-रूक कर बिजली मिलना भी आ रही है। कुछ जनपदों में तो 6/8 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है वह भी दो-तीन दफा में। इस तरह से बिजली के मिलने से शीतगृहों को बहुत कठिनाई हो रही है। बिजली विभाग अपनी पूरी असमर्थता दिखा रहा है। डीजल जेनरेटर चलाते-चलाते शीतगृह पस्त हो रहे हैं। अगर आपके जनपद में 6/8 घण्टे की और लो वोल्टेज की शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए। हम शिकायतों को इकट्ठा कर विद्युत विभाग के सामने प्रस्तुत करेंगे।

बीमा सम्बन्धी :

जो शीतगृह किराने के स्टाक पर बीमा करा रहे हैं उन्हें Declaration Policy ज्यादा अच्छी रहती है जिसमें रखे हुए माल की कीमत की सूचना हर माह बीमा कम्पनी को देनी होती है।

इस कीमत को तय करने में आपको भण्डारणकर्ता का सहयोग लेना होगा। भण्डारण करते समय आप भण्डारणकर्ता से उसके द्वारा भण्डारित माल की कीमत पूछेंगे और वह कीमत आप उसकी पहुँच पर लिख देंगे। आप भण्डारणकर्ता को यह अवश्य बतायेंगे कि दुर्घटना के समय भण्डारणकर्ता को माल की खरीद के बिल प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं और उन्ही बिलों के आधार पर क्लेम का फैसला किया जायेगा। बहुत से भण्डारणकर्ताओं को यह बात पता नहीं होती और वह अपने पास या ता बिल नहीं रखते या बिल बहुत अधिक कीमत के होते हैं और वह कम कीमत लिखा देते हैं या अधिक कीमत लिखा देते हैं। ऐसी दशा में बिलों का होना नितान्त आवश्यक हो जाता है।

हमारे यह भी संज्ञान में आया है कि कई बीमा कम्पनी बीमा धारकों से वायदा करके मुकर जाती हैं और उनकी सही बात भी नहीं मानती। कई केस में तो बीमा कम्पनी ने बीमाधारकों का सही पेमेन्ट भी रोक लिया है। कई दफा क्लेम भी अपनी मन मर्जी से तय कर दिये हैं और उनके विवरण व कारण बताने से इन्कार कर दिया है। ऐसी दशा में आप अपनी शिकायत बीमा सम्बन्धी Ombudsman से कर सकते हैं। यह ओम्बड्समैन Ombudsman भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जो कि पूरे प्रदेश में बीमा सम्बन्धी झगड़ों को निपटाते हैं। इनका पता निम्न प्रकार है :-

Insurance Ombudsman,
Jeevan Bhawan, Phase II, 6th Floor, Naval Kishore Road,
Hazratganj, Lucknow (U.P.)

सर्विस टैक्स के बारे में :

हमें अनेक शीतगृहों के सर्विस टैक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए टेलीफोन आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमें सर्विस टैक्स की नेगेटिव लिस्ट Negative List प्राप्त हुई है। इसमें कृषि सम्बन्धी सेवाएँ जो बजट में दी हुई नेगेटिव लिस्ट में हैं यानि इन सेवाओं पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं :-

NEGATIVE LIST OF SERVICES

- (a) Services by Government or a local authority excluding the following services to the extent they are not covered elsewhere :
 - (i) Services by the Department of Posts by way of speed post, express parcel post, life insurance and agency services provided to a person other than Government.
 - (ii) Services in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport;
 - (iii) Transport of goods or passengers; or
Support services, other than services covered under clauses (i) to (iii) above, provided to business entities.
- (b) Services by the Reserve Bank of India.
- (c) Services by a foreign diplomatic mission located in India.
- (d) Services relating to agriculture by way of -
 - (i) Agricultural operations directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or seed testing.
 - (ii) Supply of farm labour.
 - (iii) Processes carried out at an agricultural farm including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigating, curing, sorting, grading, cooling or bulk packaging and such like operations which do not alter essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market.
 - (iv) Renting or leasing of agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use.
 - (v) Loading, unloading, packing, storage or warehousing of agricultural produce;
 - (vi) Agricultural extension services
 - (vii) Services by any Agricultural Produce Marketing Committee or Board or services provided by a commission agent for sale or purchase of agricultural produce.
- (e) Trading of goods.
- (f) Any process amounting to manufacture or production of goods.

यहाँ पर हम एक यह उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें कृषि उत्पाद के प्रोसेसिंग processing के लिए लगाई गई मशीनरी भी सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आती केवल एल्कोहल वाले पेय को छोड़ कर।

6.7.3. I am setting up a wheat flour mill. The supplier of machinery is demanding service tax on erection and installation of machineries and equipments in the flour mill. Is he right in demanding service tax?

There is no service tax liability on erection or installation of machineries or equipments for units processing agricultural produce as food stuff excluding alcoholic beverages. You are processing wheat which is made from processing an agricultural produce. Similarly erection or installation of machineries or equipments for dal mills, rice mills, milk dairies or cotton ginning mills would be exempt.

एसोसिएशन की मीटिंग के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की मीटिंग 18 जुलाई, 2012 को आगरा कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित की जा रही है। इस मीटिंग का कार्यक्रम एक दिन का है जो कि सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक चलेगा। मीटिंग होटल जे.पी. पैलेस, फतेहबाद रोड, आगरा में आयोजित की जायेगी। अपने सदस्यों के लिए विस्तृत कार्यक्रम हम एक पत्र द्वारा सूचित करेंगे। सभी प्रान्तों के शीतगृह एसोसिएशनों के सदस्य व हमारे सारे सदस्य सादर आमंत्रित हैं।

भारत व चीन के आलू के बारे में कुछ जानने योग्य तथ्य :

भारत दुनिया में आलू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है वही पर चीन नम्बर एक पर आता है।

चीन विश्व का 23 प्रतिशत आलू उत्पादन करता है। जिसे वर्ष 2015 तक 120 मिलियन मीट्रिक टन ले जाने का लक्ष्य है। चीन की आबादी को देखते हुए आलू का उत्पादन काफी कम है और इसी कारण चीन में आलू का रेट 15 से 20 रूपए प्रति किलो चलता है।

चीन की सरकार आलू के उत्पादन पर विशेष ध्यान दे रही है और बहुत अधिक पैसा खर्च कर रही है।

चीन की सरकार का विचार है कि आलू के अधिक उत्पादन से वह अपनी अधिक आबादी को न केवल भर पेट भोजन दे सकेगी वरन आलू से होने वाले लाभ से वह उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठा सकेगी इसलिए अगले पाँच वर्ष में आलू का उत्पादन बढ़ने की आशा बताई जा रही है।

वर्ष 1969 में चीन का आलू का उत्पादन एक करोड़ 93 लाख मीट्रिक टन था जो कि 2010 में सात करोड़ 48 लाख मीट्रिक टन हो गया जो कि 287 प्रतिशत की वृद्धि रही। वहीं भारत में 1969

में आलू का उत्पादन 47 लाख 25000 मीट्रिक टन था जो की वर्ष 2010 मे तीन करोड़ 65 लाख मीट्रिक टन हो गया जो कि 674 प्रतिशत की वृद्धि रही ।

चीन में आलू की उत्पादकता काफी कम पाई जाती है और इसमें वृद्धि भी ज्यादा तेज नहीं हो रही है । चीन सरकार काफी विशेषज्ञों की मदद ले रही है और उसे आशा है कि बहुत जल्दी ही चीन के आलू की उत्पादकता बहुत बढ़ जायेगी । वहाँ भारत की आलू की उत्पादकता में 121 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसका श्रेय मुख्यतः सेन्ट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट – Central Potato Research Institute को जाता है जिसके पास देश में 28 रिसर्च सेन्टर है । इन्होंने गर्मी और सूखे से लड़ने वाली आलू की किस्म तैयार की है ।

भारत में आलू के उत्पादन बढ़ाने में शीतगृहों का भी बहुत बड़ा हाथ है । भारत में 5386 शीतगृहों में 3023 शीतगृह आलू के भण्डारण में लगे हुए है । इन शीतगृहों से बीज आलू के संरक्षण को बहुत अधिक मदद मिल रही है ।

पहाड़ी क्षेत्रों और तराई क्षेत्रों में बीज का आलू उगाकर दक्षिण के प्रान्तों में भेजना आम बात हो गई है ।

भारत में उत्पादकता 17 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर आ रही है जिसका कि बहुत जल्दी आगे बढ़ने का अनुमान है । इसका कारण भारत में आलू के बीज की ऐसी किस्में तैयार हो रही है जो कि विभिन्न बीमारियों से लड़ सके ।

चीन ने आलू की सी-88 नाम की वेराइटी विकसित की है जो कि बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है व बाद में होने वाले झुलसा रोग से भी लड़ सकती है ।

चीन मे फ्रोजन आलू विदेशों से आलू चिप्स व फ्राईज के लिए काफी मात्रा में आयात होता है क्योंकि अभी उन्हें बढ़िया प्रोसेसिंग वेराइटी किस्म के आलू पैदा करने में विशेष सफलता नहीं मिली । जबकि चीन में बहुत तेजी से McDonald आदि भोजनालय खुलते जा रहे है और चीन में लोगों का रुझान भी पश्चिमी खाने की ओर बढ़ते जा रहा है यही कारण है कि चीन मे आलू के रेट कम होने का नाम नहीं ले रहे है और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में चीन के उत्पादित आलू विश्व बाजार में कोई असर नहीं छोड़ पायेगा ।

डॉ. बीरपाल सिंह, डायरेक्टर, सेन्ट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्ष 2009-2010 मे भारत में 9 लाख 70 हजार मीट्रिक टन आलू फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जो कि कुल उत्पाद का तीन प्रतिशत से भी कम है । इस प्रकार 9 लाख 70 हजार के 89 प्रतिशत के आलू चिप्स बने, 9 प्रतिशत फ्लेक्स बनाने में काम आया व 2 प्रतिशत फ्रेंच फ्राईज के काम में आया । भारत में स्नैक्स फूड का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसलिए निकट भविष्य में प्रोसेसिंग वेराइटी के आलू की माँग बहुत ज्यादा होगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है । चूकि भारत में अच्छे किस्म का आलू तैयार हो रहा है इसलिए भारत में आलू का आयात फ्रन्च फ्राईज आदि के लिए काफी कम मात्रा में हो रहा

है और इसके और कम हो जाने की आशा है। भारत में अपने ही देश की आलू की खपत बहुत तेजी से बढ़ने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भविष्य में भारत भी कोई स्थान नहीं बना पायेगा।

यह जानकारी हमें श्री अरविन्द अग्रवाल, सोराँव कोल्ड स्टोरेज, से Spud Smart Media के एक मई, 2012 में प्रकाशित अंश से प्राप्त हुआ है।



सौर ऊर्जा के सम्बन्ध में :

जैसा कि आप जानते हैं अब भारत सरकार व प्रदेशीय सरकार सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दें रही है। यह ऊर्जा प्रदूषण फ्री होती है और इसमें लगातार कोई खर्च नहीं आता। कानपुर में मदनानी इंजीनियरिंग्स वर्क्स, 10-बी, को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट, कानपुर-208022 फोन नं. 0512-2296130, 2240897, 09554969208, 09336663850 ने भी सौर ऊर्जा लाइट तैयार की है। यह लाइट शीतगृहों में बड़े आराम से लगाई जा सकती है और काफी लाभदायक भी है। जो शीतगृह अपने शीतगृह की मॉडर्नाइजेशन Modernization Subsidy सबसीडी के बारे में अप्लाई कर रहे हैं वह इन लाइटों का भी जिक्र अपनी स्कीम में कर सकते हैं। यह बात जरूर है कि शुरू में इन लाइटों को लगाने में खर्च जरूर अधिक आता है, परन्तु एक बार लगाने पर शीतगृह का मेन लाइट लोड कम हो जाता है। कृपया ध्यान दें कि यह कम्पनी श्री डी.के. मदनानी जी की है जो कि हमारे कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सचिव भी रह चुके हैं। मदनानी जी हमारी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य भी हैं। हमारे सदस्यों को इन सौर लाइट की विस्तृत जानकारी उनसे मिलने में काफी आसानी रहेगी।

शीतगृह के अन्दर सड़क पर दो, तीन सोलर लाइट लगाकर ही हम इनके बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आलू के सूखने के शेड, मशीन रूम, आफिस व शीतगृह के कम्पाउण्ड में यह लाइटें विशेष सहायक होगी। जिन जगहों पर रात को बिजली अकसर गायब रहती है वहाँ के लिए यह लाइटें विशेष लाभदायक हैं।

इन लाइटों की कीमत व रख रखाव के बारे में अच्छा हो की आप सीधे मदनानी जी की कम्पनी से संपर्क करें क्योंकि इसकी कीमत इस बात पर भी निर्भर करेगी की आप कितनी अधिक मात्रा में कौन सी लाइटें खरीद रहे हैं।

श्री मदनानी जी का पूरा पता व फोन नम्बर उनके द्वारा दिए गए विज्ञापन में दिया हुआ है।

गेहूँ भण्डारण के सम्बन्ध में :

इस वर्ष सारे देश में शीतगृहों की काफी बड़ी क्षमता खाली रह गई है जो अनुमानतः 20 प्रतिशत के करीब आती है। इस क्षमता में गेहूँ का भण्डारण किया जा सकता है। बहुत बड़ी मात्रा में गेहूँ खुले आसमान में पड़ा है और बरसात आते ही उसके भीग कर सड़ने की प्रबल सम्भावना है। यह देख कर हमने एक पत्र केन्द्रीय कृषि मंत्री, भारत सरकार को लिखा है जिसको हम यहाँ दें रहे हैं।

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, Website : http : //www.fcaoi.org

MAHENDRA SWARUP
PRESIDENT
Cold Storage Association,
Uttar Pradesh
President

RAMPADA PAUL
VICE PRESIDENT (North),
President, West Bengal Cold
Storage Association

ASHISH GURU
VICE PRESIDENT (South)
President, Gujarat Cold
Storage Association

MUKESH KR. AGGARWAL
HONY. SECRETARY
All India Cold Storage
Association

B.L. JAJU
DIRECTOR INCHARGE AND
FINANCE CONTROLLER
President, Madhya Pradesh
Cold Storage Association

S.N. ASHRAF
JOINT SECRETARY AND
DIRECTOR COORDINATION
President, Bihar Cold
Storage Association

KULWANT SINGH SAINI
DIRECTOR
Information & Revenue
President, Haryana Cold
Storage Association

GUBBA NAGENDER RAO
COORDINATOR (South)
President, Andhra Pradesh
Cold Storage Association

NIRMAL PATNI
MEMBER
President, All Rajasthan Cold
Storage Association

SHYAM PANSARI
MEMBER
President, Orissa
Cold Storage Association

MADAN LAL JINDAL
MEMBER
President, Uttaranchal
Cold Storage Association

RAJESH GOYAL
NATIONAL COORDINATOR
Hony. Secretary,
Cold Storage Association,
Uttar Pradesh



Federation2012/320/2012

May 21, 2012

To,
The Agriculture Minister,
Government of India,
Krishi Bhawan,
New Delhi.

Sir,

Subject: Storage of wheat in cold storages.

We are ready to offer vacant space in cold storages for the storage of wheat which is lying outside in want of storage space. At present approx. 20 lakh metric tonnes space is lying vacant in cold storages all over India.

The cold storages may be compensated by you for their this service.

You are also requested to lift any ban, if there is any, for the storage of wheat in cold storages by any cultivator or trader.

Thanking you,

for **FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA**


(MAHENDRA SWARUP)
PRESIDENT

c.c. Shri Rajesh Goyal, C-5 Kamla Nagar, Agra (U.P.) with the request to take up the matter with Hon. Agriculture Minister.

हमारे पत्र को लेकर आगरा के कुछ शीतगृहस्वामी, श्री राजेश गोयल, सचिव, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के साथ माननीय कृषि मंत्री से मिले भी है और दिनांक 22.5.2012 को उन्हें सौंप दिया है। कृषि मंत्री ने शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मंत्रालय से किसी भी तरह की हमारे पक्ष में अग्रिम कार्यवाही का कोई संदेश मिलेगा तो हम शीतगृहस्वामियों को सूचित करेंगे।

एक पत्र हमने प्रदेश कृषि मंत्री को भी लिखा है जिसकी छायाप्रति यू.पी. स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन को भी भेजी है कि यदि प्रदेश सरकार को गेहूँ भण्डारण के लिए स्थान की आवश्यकता हो तो हम शीतगृहों में रिक्त स्थान उन्हें भी गेहूँ भण्डारण के लिए दे सकते हैं।

फोन : +91-0522-2242486
मोबाइल : 9415418566, 9335019355

फैक्स : +91-0522-2242486
e-mail : coldstorage@satyam.net.in

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

चाटर् ववर्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ - 226004

413/सी.एस.ए.26/456/2012

दिनांक 23.5.2012

देवा ने
माननीय कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश,
सचिवालय,
लखनऊ

महोदय,
विषय: शीतगृहों में गेहूँ भण्डारण की समस्या से

समाचार पत्रों से हमारे समाज में आया है कि गेहूँ के अधिक उत्पादन के कारण गेहूँ भण्डारण की समस्या उत्पन्न हो गई है।

आपके समाज में लाभा है कि इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 15 लाख मीट्रिक टन की शीतगृह भण्डारण क्षमता खाली रह गई है। इस स्थिति स्थान में गेहूँ का भण्डारण सूक्ष्म रूप से किया जा सकता है। शीतगृहों द्वारा यह परीक्षण पहले ही किया जा चुका है कि शीतगृहों में गेहूँ का भण्डारण सुरक्षित रूप से किया जा सकता है।

यदि राज्य सरकार चाहे तो उत्तर प्रदेश में शीतगृह अपने शीतगृह के रिक्त स्थान में गेहूँ का भण्डारण करने को तैयार है।

हमें आशा है कि इस कदम से शीतगृह उद्योग व किसानों को लाभ पहुंचेगा।

अधिन कार्यवाही के लिए हम वार्ता के लिए आने को तैयार हैं।

सतम्नवाच,

शुभ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश



(महेश्वर कुमार)

अध्यक्ष

प्रतिलिपि: चेयरमैन, यू.पी. स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, लखनऊ

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, Website : http : //www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, Rampada Paul - Vice President (North), Ashish Guru, Vice President (South)
Mukesh Kr. Aggarwal - Hony. Secy., B.L. Jaju - Dir. Incharge and Finance Controller, S.N. Ashraf - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, Rajesh Goyal - National Coordinator, Gubba Nagender Rao - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

उत्तर प्रदेश : फर्रुखाबाद से श्री अनिल कटियार, मालिक रतन कोल्ड स्टोरेज ने हमें सूचित किया है कि फर्रुखाबाद क्षेत्र में 70-72 प्रतिशत की भराई हुई है जबकि कन्नौज क्षेत्र में 65-70 प्रतिशत ही आलू भण्डारण है। यदि स्थिति कानपुर व मैनपुरी क्षेत्र की भी है इस समय निकासी चालू हो गई है और करीब-करीब हर जगह से आलू की निकासी चल रही है। आगरा निकासी के मामले में अग्रणी चल रहा है और वहाँ 14/15 प्रतिशत निकासी का अनुमान है वहीं फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, जी.टी. रोड, मैनपुरी में 7/8 प्रतिशत की निकासी का अनुमान है। फर्रुखाबाद क्षेत्र में 1-2 प्रतिशत ज्यादा निकासी अनुमानित की जा रही है। लगभग इसी प्रतिशत की निकासी के समाचार पश्चिमी बंगाल से भी आये हैं आलू के रेट के बारे में भी ज्ञात हुआ है कि आलू के भाव करीब 10-15 दिन से एक से ही चल रहे हैं। इन्हें 950 रुपए से 1000 रुपए प्रति कुन्तल माना जा सकता है। आगरा में अवश्य 100 रुपए से 150 रुपए प्रति कुन्तल का भाव अधिक चल रहा है। पश्चिमी बंगाल में भी करीब-करीब यही रेट चल रहे हैं।

उड़ीसा : उड़ीसा से हमें श्री श्याम पंसारी, अध्यक्ष, उड़ीसा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने बताया है कि उड़ीसा में भी मई माह के शुरू से ही आलू की निकासी चालू हो गई है। आलू के रेट 1030 से 1070 रु. प्रति कुन्तल चल रहे हैं। इधर आलू के भाव में 10-20 रुपए कुन्तल की नमी आ गई है क्योंकि पश्चिमी बंगाल के कुछ स्टोरों ने अपना कुछ जल्दी में रखा आलू तेजी से बेचना शुरू कर दिया इस डर से की कही वह आलू खराब ना हो जाये।

शीतगृहों के टेक्निकल स्टैण्डर्ड्स Technical Standards के सम्बन्ध में:

हमने पिछले अंक में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड National Horticulture Board के मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री बिजय कुमार जी को एक पत्र लिखा था जिसमें उनसे यह माँग की गई थी कि सब्जी के लिए टेक्निकल स्टैण्डर्ड्स Technical Standards में अगर कोई बदलाव आया है तो हमें वह बदलाव लिखित रूप से भेज दें इस पत्र के उत्तर में उन्होंने हमें यह बताया है कि अब यह विषय National Centre for Cold Chain Development कृषि मंत्रालय पर चला गया है। अतः इस विषय पर हमें National Centre for Cold Chain Development से बात करनी चाहिए।

हमारे सदस्यों को यदि शीतगृहों में टेक्निकल स्टैण्डर्ड्स Technical Standards के बारे में कोई जानकारी करनी हो तो निम्न पते पर पत्र भेज सकते हैं। वैसे हम भी उन्हें एक पत्र लिख रहे हैं जो इस प्रकार है –

Shri Shailendra Kumar, Director
National Centre for Cold Chain Development,
Department of Agriculture and Corporation (DAC)
Ministry of Agriculture, Krishi Bhawan (Room No.232), New Delhi
Fax: 011-23389346, E Mail: shilen.kumar@nic.in

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, Website : http : //www.fcaoi.org

MAHENDRA SWARUP
PRESIDENT
Cold Storage Association,
Uttar Pradesh
President

RAMPADA PAUL
VICE PRESIDENT (North),
President, West Bengal Cold
Storage Association

ASHISH GURU
VICE PRESIDENT (South)
President, Gujarat Cold
Storage Association

MUKESH KR. AGGARWAL
HONY. SECRETARY
All India Cold Storage
Association

B.L. JAJU
DIRECTOR INCHARGE AND
FINANCE CONTROLLER
President, Madhya Pradesh
Cold Storage Association

S.N. ASHRAF
JOINT SECRETARY AND
DIRECTOR COORDINATION
President, Bihar Cold
Storage Association

KULWANT SINGH SAINI
DIRECTOR
Information & Revenue
President, Haryana Cold
Storage Association

GUBBA NAGENDER RAO
COORDINATOR (South)
President, Andhra Pradesh
Cold Storage Association

NIRMAL PATNI
MEMBER
President, All Rajasthan Cold
Storage Association

SHYAM PANSARI
MEMBER
President, Orissa
Cold Storage Association

MADAN LAL JINDAL
MEMBER
President, Uttaranchal
Cold Storage Association

RAJESH GOYAL
NATIONAL COORDINATOR
Hony. Secretary,
Cold Storage Association,
Uttar Pradesh



Federation2012/322/2012

May 26, 2012

Shri Shailendra Kumar,
Director,
National Centre for Cold Chain Development,
Department of Agriculture and Corporation (DAC),
Ministry of Agriculture,
Krishi Bhawan (Room No.232),
New Delhi.
Fax: 011-23389346
E Mail: shilen.kumar@nic.in

Dear Sir,

**Subject: Change in norms in construction of building and
machinery of cold storages for obtaining subsidy.**

As we came to know that there are certain changes in norms for the construction of cold storages to obtain subsidy, we wrote a letter to Managing Director, National Horticulture Board. We have been directed by him to contact you on this issue as the Department of National Centre for Cold Chain Development has been shifted to your office. Please let us know are there any changes in the norms for cold storages.

Previously cold storages were bound to install Unit System for cooling. Now this bar has been lifted. Cold Storages are allowed to use any system and free to install the machinery through the supplier or through third party. The efficiency of the cold storage shall be measured by the per unit power consumption of preservation. If that is so kindly let us know the new norms as soon as possible, which may be circulated to our members all over India.

Many new cold storages are waiting to start installation of their machinery in want of new norms.

Thanking you,

for FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA


(MAHENDRA SWARUP)
PRESIDENT

कोल्ड स्टोरेज में लगने वाली आग के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि शीतगृह आग के मामले में काफी असुरक्षित रहते हैं जिनके बारे में हम अपने सदस्यों का ध्यान बार-बार आकर्षित करते चले आ रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर ध्यान देना हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है। आग लगने से ना सिर्फ कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग को नुकसान पहुँचता है वरन् उसमें रखे हुए माल को भी अपार हानि पहुँचती है।

इसके लिए हमने काफी जोर दिया है कि जितना हो सके सही कीमत का बीमा करवाए और यह भी सुनिश्चित करें कि बीमा कम्पनी ने आपको सही पॉलिसी दी है। पॉलिसी की कापी मिलते ही किसी बीमा के सही जानकार से उसे जचवा लें। यदि आप पर जानकार न हो तो बीमा पॉलिसी की कापी हमें भेजें, हम उसे देखकर आपको सलाह देंगे।

इसके बाद आपको आग बुझाने के संयंत्र जरूर लगाने चाहिए। यह संयंत्र लगाते वक्त किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। 2/3 आग बुझाने के संयंत्र ज्यादा भी लग जाये तो कोई बात नहीं।

अपने शीतगृहों को पानी की लाइन से भी चारों तरफ से कवर करें और इसके पम्प की मोटर को भी जनरेटर से जोड़े जिससे किसी भी दुर्घटना के समय जनरेटर को चलाकर कोल्ड स्टोरेज में कण्डेन्सर टैंक से पानी लेकर आग बुझाई जा सके। आग लगते समय प्रायः यह देखा गया है कि बिजली ब्रेकडाउन भी हो जाता है, उस समय सीधे बिजली से कोई पम्प नहीं चल पाता।

इसके साथ ही शीतगृहों में डिसासटर मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। डिसासटर मैनेजमेंट का अर्थ हुआ कि किसी भी भयंकर दुर्घटना को होने से कैसे रोका जाए और यदि हो जाए तो उस कैसे सम्भाला जाए।

क्योंकि शीतगृह गहरे दबाव पर यानि 225 पाउण्ड प्रति वर्ग इंच के दबाव तक अमोनियाँ पर काम करते हैं, इतने बड़े प्रेशर पर किसी भी तरह की दुर्घटना सम्भव होती है। अमोनियाँ गैस खुद में बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है।

प्रत्येक शीतगृह को अपने प्रेशर वेसल, जैसे रिसीवर, आयल सेपरेटर, कण्डेन्सर हर वर्ष चेक करवाने चाहिए और उसका चेकिंग सार्टीफिकेट भी अपने पास रखना चाहिए। रिसीवर को गर्म हालत में नहीं चलाना चाहिए। इसके लिए आपातकाल में पानी छिड़कने की व्यवस्था अत्यन्त जरूरी है साथ में प्रेशर बढ़ने पर अमोनियाँ गैस का रिसीवर से निकलने का रास्ता भी खुला होना चाहिए। यह रास्ता एक पाइप द्वारा बनाया जाता है जिसे पानी के टैंक में डूबो दिया जाता है।

हर शीतगृह में एक मास्क ऑक्सीजन सिलेण्डर के साथ होना अत्यन्त अनिवार्य है। यदि दो मास्क और दो सिलेण्डर हो तो ठीक रहता है। किसी भी समय प्लांट में अमोनियाँ लीक होने पर मास्क पहन कर कोई भी कर्मचारी अमोनियाँ गैस लीक ठीक कर सकें। देखा गया है कि शीतगृह साधारण मास्क रख लेते हैं जो कि वक्त पर बिलकुल बेकार साबित होते हैं क्योंकि साधारण मास्क अमोनियाँ के आक्रमण को नहीं रोक सकते।

... शेष पृष्ठ 20 पर

इस सब तैयारी के बाद आपके कर्मचारियों को ट्रेन होना जरूरी है। आपको यह देखना होगा कि आपके कर्मचारी इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। इसके लिए आप समय-समय पर नकली प्रैक्टिस करवाते रहे तो अच्छा है। वरना संकट के समय कर्मचारियों में केवल भगदड़ मच जाती है और कोई सही काम नहीं हो पाता।

हर साल आग बुझाने वाले यंत्रों का केमिकल बदला जाना जरूरी होता है। आप इस एक साल पुराने केमिकल को अपने यहाँ ट्रेनिंग देने के काम में ला सकते हैं।

यहाँ हम साथ में एक जलते हुए कोल्ड स्टोरेज का चित्र भी प्रस्तुत कर रहे हैं। 20-21 मई, 2012 को यह कोल्ड स्टोरेज पूरी तरह जल कर राख हो गया है यह मधिरा, जनपद खम्माम (आन्ध्र प्रदेश) में था। इस शीतगृह में 123000 बोरे लाल मिर्च भण्डारित थी। जिसका मूल्य 25 करोड़ रुपये आँका जा रहा है। अब शीतगृह के सारे रिकार्ड तलाशे जा रहे हैं।



सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

.....
.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित